"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 नवम्बर 2010—कार्तिक 18, शक 1932

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. एफ 5-1/2010/दो/आठ/परि. .— छत्तीसगढ़ मोटर कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 26 सन् 2010) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख 10 नवम्बर, 2010 से नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. एफ 5-1/2010/दो/आठ/परि. .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 9-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

Raipur the 9th November, 2010

NOTIFICATION

No. F 5-1/2010/two/VIII/trans. .— In excercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Act, 2008 (No. 26 of 2010), the State Government, hereby appoints the date of 10th November, 2010 for coming into force of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. MARAVI, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.